Desktop/sanjay.doc

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.6(निरी.)आं0जां0/परिपत्र/2018/ 10456   जयपुर, दिनांक : 4.7.18

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि इस विभाग द्वारा समय–समय पर गठित आंतरिक/भौतिक सत्यापन एवं विशेष जांच प्रतिवेदनों की अनुपालनाओं में पूर्ण एवं ठोस कार्यवाही कर अनुपालना नहीं भिजवाई जा रही है जिसके कारण बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण की प्रभावी कार्यवाही संभव नही हो पाती है। अतः बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण हेतु निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. प्रेषित की जाने वाली अनुपालनाऐं प्रतिवेदन के आक्षेपानुसार एवं बिन्दुवार पृथक–पृथक प्रस्तुत की जावें।
2. अनुपालना के प्रत्येक पृष्ठ पर विभाग में पदस्थापित लेखासेवा के वरिष्ठतम अधिकारी की टिप्पणी सहित हस्ताक्षर मय सील अंकित की जावे।
3. विशेष जांच प्रतिवेदनों की अनुपालना सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जावे ।
4. अनुपालना के साथ वसूली/राजकोष में जमा राशि के चालान एवं अन्य दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां साक्ष्य हेतु संलग्न की जावें।
5. प्रथम अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह में भिजवाया जाना सुनिश्चित की जावे ।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें, जिससे अनुपालनाओं पर अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

(एस.के. असवाल) 3/7/18
निदेशक

क्रमांकः प.6(निरी.)आं0जां0/परिपत्र/2018/ 10457-980   दिनांक 4-7-18

प्रतिलिपिः–: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान ।
3. अतिरिक्त निदेशक (अंकेक्षण)/प्रशासन,निरीक्षण विभाग।
4. संयुक्तनिदेशक,भौतिक सत्यापन/प्रशासन निरीक्षण विभाग
5. निजी सचिव, निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर।
6. प्रभारी आंतरिक/विशेष जांच/भौतिक सत्यापन शाखा ।

अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)

13.7.18

5951
13.7.18